

UP Board Solutions for Class 8 Hindi Chapter 15 एक स्त्री का पत्र (मंजरी)

प्रश्न-अभ्यास।

नोट –

पत्र से

प्रश्न 1.

बिन्दू को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिन्तित हो उठे?

उत्तर :

बिन्दू एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे।

प्रश्न 2.

बिन्दू का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया?

उत्तर :

बिन्दू का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया।

प्रश्न 3.

बिन्दू को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला?

उत्तर :

बिन्दू ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

प्रश्न 4.

मझली बहू ने पत्र के अन्त में क्या निश्चय व्यक्त किया?

उत्तर :

मझली बहू ने पत्र के अन्त में मीराबाई की तरह सारे बन्धन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया।

प्रश्न 5.

कथन के भाव स्पष्ट कीजिए

(क) कविताएँ थीं तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज थी?

भाव – कविताओं में गृहस्थ के रीति-रिवाज के विरुद्ध आन्तरिक विचार प्रकट होते थे।

(ख) माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी?

उत्तर :

मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी।

(ग) मैं तुम्हारी चौखट लाँघ चुकी हूँ?

उत्तर :

मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी।

(घ) मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ। मैं जीऊँगी।

भाव – मझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि गृहस्थी के झमेलों ने उसे झकझोर कर रख दिया था।

भाषा की बात

प्रश्न 1.

दिये गये मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए-उत्तर-

(क) **चैन की साँस लेना** = आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग-बिन्दू को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की साँस ली।

(ख) **फूटी आँख न सुहाना** = अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग-मझली बहू को बिन्दू के प्रति प्यार घरवालों को फूटी आँख ने सुहाता था।

(ग) **सीने पर साँप लोटना** = बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग-बिन्दू की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर साँप लोटने लगे।

प्रश्न 2.

‘दूर’ शब्द का अर्थ जो बहुत दूर हो।

इसी प्रकार ‘सु’ उपसर्ग जोड़कर चार अन्य शब्द बनाइए (शब्द बनाइए)उत्तर- शब्द।

उत्तर :

शब्द	उपसर्ग	बना शब्द
कुमार	सु	सुकुमार
प्रसिद्ध	सु	सुप्रसिद्ध
गम	सु	सुगम
लभ	सु	सुलभ

प्रश्न 3.

आज पन्द्रह साल हुए दूसरा क्रमबोधक।

दो अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

उत्तर :

इक्कीस – लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा इक्कीस वर्ष है।

दूसरा – गीता का दूसरा अध्याय ‘सांख्ययोग’ है।